



KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, KANPUR

(PERMIT FORM)

**PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR UNDER
THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973**

ID No. :-	18022015003	Block/Sector	-----/N/A
Plot/House	KHASRA NO-481,490TO- 493,495TO499,514TO- 516/-----	Scheme	-----
Permit Date	08-03-2016	Application Date	18-02-2015
Permit No.	993/BHAWAN/15-16		
Area(Place)	BARA SAROHI		
Land Usage	Commercial		
Applicant's Name	ELDECO TOWNSHIPS AND HOUSING LTD		
Present Address	F.F VIRENDRA SMRITI COMPLEX 15/54-B CIVIL LINES KANPUR		

Sanction vide order dated : 10-02-2016 V.C build grandted as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh Map/One year in Case of Renewal.

S. Virendra
11.03.16
Authorised Signatory
स्वराज गांगुली
मुख्य नगर नियोजक

Copy To:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा कि शर्तें :-

- 1 यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है , किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू / गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्ता होता है और ना ही समाप्त होता है और ना ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधिक कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधिक करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- 2 यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह जात होने पर कि अनुज्ञा सारदान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक वव्हयार कर प्राप्त की गयी है ,निरस्त की जा सकती है ।
- 3 किसी भी प्रकार का प्रछेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी ,छज्जा ,कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप के रूप में चाहे भले हो , ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शे में दर्ज दिए गए की अनुज्ञा अमान्य होगी । ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृती अनिवार्य है ।
- 4 अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
- 5 यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विधुत तार हो , जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विधुत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिए जाये ।
- 6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ववस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी । पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार 4 व्रक्ष लगाने होंगे एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
- 7 निर्माण भूकम्परोधी करना होगा ।
- 8 दिये गये शपथ पत्र के क्रम में भविष्य में विकास शुल्क के मद में कोई देयता बनती है तो देय होगी।
- 9 उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 -ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवयशक होगा ।
- 10 भू -स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
- 11 मानचित्र की स्वीकृति ~~स्वीकृति~~ हेतु प्रदान की जा रही है। अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 12 किसी भी शर्त का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।


Authorised Signatory

स्वराज गांगुली
मुख्य नगर नियोजक